



कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन - कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथा के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है। इसके फलस्वरूप बैंक कारोबारी सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है, संक्षेप में इसके उद्देश्य निम्न हैं :

- शेयरधारकों की पूँजी में वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज के साथ-साथ शेयरधारकों तथा अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे तथा कार्यपालकों के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति-विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित एवं पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक-प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी दिशानिर्देशित होती है।

- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के “लिस्टिंग-एग्रीमेंट” का अनुच्छेद 49 सभी सूचीबद्ध कंपनियों के पालन हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तोंको निर्दिष्ट करता है, जहां तक अन्य सूचीबद्ध इकाइयों का सवाल है - जो कंपनी नही बल्कि कारपोरेट निकाय हैं, जिनके अंतर्गत बैंक भी आते हैं, जिन्हें अन्य सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किया जाता है, के संबंध में खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा जहाँ तक वह उनके सांविधिक एवं दिशा-निर्देशों या उनके विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण न करे। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

बोर्ड की संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था एवं बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है। बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत नियुक्त दो प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं (दि. 1 फरवरी 2008 से एक पद रिक्त है)। 31 मार्च 2007 को बोर्ड में शिक्षा, उद्योग-जगत एवं लेखा फर्मों के विशिष्ट व्यक्तियों सहित 11 अन्य निदेशक थे। ये शेयरधारकों एवं बैंक स्टाफ के प्रतिनिधि, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामितियों एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्णकालिक निदेशक जिसमें अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक (दूसरा स्थान 01 फरवरी 2008 से रिक्त हो गया) आते हैं - को छोड़कर 31 मार्च 2008 को बोर्ड का स्वरूप निम्नलिखित था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित दो निदेशक,
- बैंक के कामगार स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में धारा 19 (गक) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक,
- बैंक के गैर-कामगार स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नियुक्त एक निदेशक जो 31 मार्च 2008 को व्यवसाय अवधि की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो गए,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित तीन निदेशक,





Corporate Governance

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of corporate governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The objectives can be summarized as:

- To enhance shareholder value.
- To protect the interests of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership, exercises control over management and monitors executive performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are also guided by the SBI Act, 1955, with all relevant amendments.

- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and report deviation, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchange except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

Composition of the Board

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act. The Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of SBI Act; two Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of SBI Act. The Chairman and Managing Directors (one position fell vacant on 01.02.2008) are whole time Directors. As on 31st March 2008, there were 9 other directors on the Board including eminent personalities from academics and industry. These included representatives of shareholders and staff of the Bank, nominee officials of Government of India and Reserve Bank of India and directors nominated by the Government of India under Section 19(d) of the State Bank of India Act, 1955. Apart from the whole time Directors comprising Chairman and one Managing Director (the other position fell vacant on 1st February 2008), the composition of the Board as on 31st March 2008, was as under :

- two directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- one director, appointed by GOI under Section 19(ca), representing the workmen staff of the Bank,
- one director, appointed by GOI under Section 19(cb), representing the non-workmen staff of the Bank (who retired as at the close of business on 31st March 2008),
- three directors, nominated by the Central Government under Section 19(d),





- केंद्र सरकार द्वारा 19 (ड) के अंतर्गत नामित एक निदेशक, एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित एक निदेशक।

निदेशक मंडल का गठन खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

गैर कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, अन्य बोर्डों / समितियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों/ सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है तथा बैंक में उनकी शेरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

समितियाँ :

केंद्रीय बोर्ड ने निदेशकों की आठ समितियाँ गठित की हैं। ये हैं - (1) कार्यकारिणी समिति, (2) लेखा-परीक्षा समिति, (3) शेरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति, (4) जोखिम प्रबंधन समिति, (5) बड़ी राशि (1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की विशेष समिति, (6) ग्राहक सेवा समिति, (7) प्रौद्योगिकी समिति और (8) ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय समिति।

केंद्रीय बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें :

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2007-08 में निदेशक बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 11 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति तालिका 13 में दी गई है।

कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करती है और बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करती है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेषनिदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की क्षमता में आने वाले किसी भी मामले पर कार्य कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 के खंड (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थित निदेशकों की संख्या तालिका 14 में दी गई है।

तालिका 13 : बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या		
	गैर-कार्यपालक/भारिबैं/भारत सरकार के नामिती	अध्यक्ष सहित पूर्णकालिक	योग
12.05.2007	7	3	10
25.06.2007	7	3	10
28.07.2007	10	2	12
25.08.2007	9	2	11
27.10.2007	7	3	10
14.11.2007	8	3	11
29.12.2007	9	3	12
14.01.2008	5	3	8
24.01.2008	5	3	8
01.02.2008	7	2	9
29.03.2008	7	2	9

तालिका 14 : केंद्रीय बोर्ड की

कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की/कार्यकारिणी समिति की बैठकों की संख्या
1 श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष	51
2 श्री टी एस भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.01.2008 तक)	33
3 श्री योगेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक (30.06.2007 तक)	7
4 श्री एस.के.भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (08.10.2007 से)	24
5 श्री अजय जी पीरामल (31.08.2007 तक)	3
6 श्री सुमन कुमार बेरी	17
7 डॉ. अशोक झुनझुनवाला	14
8 श्री ए.सी. कलिता	31
9 श्री अमर पाल	28
10 श्री अरुण सिंह (30.07.2007 तक)	7
11 श्री राजीव पांडे (30.07.2007 तक)	16
12 श्री पीयूष गोयल (24.02.2008 तक)	40
13 डॉ. देवा नंद बलोधी (09.07.2007 से)	36
14 प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी (09.07.2007 से)	22
15 डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा (25.02.2008 से)	4
16 श्री विनोद राय (06.01.2008 तक)	9
17 श्री अरुण रामनाथन (18.01.2008 से)	-
18 श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	14





- one director, nominated by the Central Government under Section 19(e), and
- one director, nominated by the Reserve Bank of India under Section 19(f).

The composition of the board complies with provisions laid down in Clause 49.

A brief resume of each of the non-executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

Committees

The Central Board has constituted eight Committees of Directors, namely, (1) Executive Committee, (2) Audit Committee, (3) Shareholders'/Investors' Grievance Committee, (4) Risk Management Committee, (5) Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (Rs.1crore and above), (6) Customer Service Committee, (7) Technology Committee and (8) Committee on Rural Sector Business.

Meetings of the Central Board and its Committees

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. Details of attendance of each Director at the meetings of the Board of Directors in 2007-08 are given in Annexure IV. During the year 2007-08, eleven Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are given in Table 13.

Executive Committee

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act, 1955. According to the Act, ECCB exercises powers delegated by the Board and functions subject to the conditions imposed by the Board. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), and all or any of the other Directors who are normally residents or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held. The ECCB meetings are held once every week. The number of ECCB meetings attended by the directors is given in Table 14.

Table : 13 Attendance of Board Meetings

Date of Meeting	No. of Directors Attended		
	Employee/ Non-executive/ RBI/GOI Nominee Directors	Whole-time incl. Chairman	Total
12.05.2007	7	3	10
25.06.2007	7	3	10
28.07.2007	10	2	12
25.08.2007	9	2	11
27.10.2007	7	3	10
14.11.2007	8	3	11
29.12.2007	9	3	12
14.01.2008	5	3	8
24.01.2008	5	3	8
01.02.2008	7	2	9
29.03.2008	7	2	9

Table : 14 Attendance of ECCB Meetings

Directors	No. of ECCB meetings
1. Shri O.P. Bhatt, Chairman	51
2. Shri T.S. Bhattacharya, M.D. (upto 31 st January 2008)	33
3. Shri Yogesh Agarwal, M.D. (upto 30.06.2007)	7
4. Shri S.K. Bhattacharyya, M.D. (w.e.f. 08.10.2007)	24
5. Shri Ajay G. Pirmal (upto 31.08.2007)	3
6. Shri Suman Kumar Bery	17
7. Dr. Ashok Jhunjunwala	14
8. Shri A.C. Kalita	31
9. Shri Amar Pal	28
10. Shri Arun Singh (upto 30.07.2007)	7
11. Shri Rajiv Pandey (upto 30.07.2007)	16
12. Shri Piyush Goyal (upto 24.02.2008)	40
13. Dr. Deva Nand Balodhi (w.e.f. 09.07.2007)	36
14. Prof. Md. Salahuddin Ansari (w.e.f. 09.07.2007)	22
15. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha (w.e.f. 25.02.2008)	4
16. Shri Vinod Rai (upto 06.01.2008)	9
17. Shri Arun Ramanathan (w.e.f. 18.01.2008)	-
18. Smt. Shyamala Gopinath	14





लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को एवं पिछली बार इसका अद्यतन पुनर्गठन 29 मार्च 2008 को किया गया था। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है एवं सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होने पाए।

गठन एवं वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में निदेशक बोर्ड के छह सदस्य होते हैं। इनमें दो पूर्णकालिक निदेशक (इनमें एक पद 1 फरवरी 2008 से रिक्त है), दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा दो गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोरम संबंधी अपेक्षाओं का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाता है। संरचना एवं वर्ष के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं। प्रत्येक बैठक में उपस्थिति का विवरण तालिका 15 में दिया गया है।

निदेशक	उपस्थिति
1 श्री पीयूष गोयल - अध्यक्ष (एसीबी) दिनांक 01.08.2007 से 24.02.2008 तक	5
2 श्री राजीव पांडे, अध्यक्ष (एसीबी) दिनांक 30.07.2007 तक	3
3 श्री अरुण सिंह, निदेशक दि. 30.07.2007 तक	3
4 श्री सुमन कुमार बेरी, निदेशक 01.09.2007 से	6
5 श्री अशोक झुनझुनवाला, निदेशक 14.01.2008 से	3
6 श्री विनोद राय - भारत सरकार के नामिती - 06.01.2008 तक	-
7 श्री अरुण रामनाथन - भारत सरकार के नामिती - 18.01.2008 से	-
8 श्रीमती श्यामला गोपीनाथ - भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती	3
9 श्री टी.एस.भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (का. बै.) 31.01.2008 तक	6
10 श्री योगेश अग्रवाल प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा.बै.) दिनांक : 30.06.2007 तक	2
11 श्री एस.के.भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी दिनांक : 08.10.2007 से	5

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उनका पर्यवेक्षण भी करती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता-

नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखा-परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति विशेषीकृत एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक श्रेणी प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अंतर-शाखा समायोजन खाते।
- अंतर-बैंक खातों तथा नॉस्ट्रो/वॉस्ट्रो खातों की लंबे समय से समाधान न हुई प्रविष्टियाँ।
- विभिन्न शाखाओं की बहियों के समतुलन का बकाया कार्य।
- धोखाधड़ियाँ।
- आंतरिक लेखा-कार्य और व्यवस्था से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र

(ग) यह बैंक के अनुपालन विभाग से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(घ) सांविधिक लेखा-परीक्षाओं के संबंध में, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति विस्तृत (लांग-फार्म) लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा-परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है।

आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अपेक्षित अन्य पहलुओं से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने हेतु बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 9 बैठकें (तालिका-15) आयोजित की गईं।

केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक औपचारिक “ऑडिट चार्टर” अथवा “संदर्भावलोकन शर्तें” निर्दिष्ट की गईं जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त खण्ड 49 के अंतर्गत आनेवाली अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है।

तालिका 15 : बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या		
	गैर कार्यपालक/ आरबीआइ/भारत सरकार के नामिती	पूर्णकालिक निदेशक	योग
04.05.2007	2	1	3
11.05.2007	2	2	4
27.07.2007	3	1	4
06.10.2007	2	1	3
27.10.2007	3	2	5
20.11.2007	2	2	4
24.01.2008	3	2	5
01.02.2008	3	1	4
05.03.2008	3	1	4





Audit Committee

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on 27th July 1994 and last re-constituted on the 29th March 2008. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

Composition & Attendance during 2007-08

In terms of Reserve Bank of India guidelines, the ACB has six members of the Board of Directors, including two whole time Directors (out of which one position fell vacant on 1st February 2008), two official Directors (nominees of GOI and RBI), and two non-official, non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a non-executive Director. The quorum requirements as per RBI guidelines are complied with meticulously. Details of composition and attendance during the year are as under. Table-15 gives the attendance at each meeting.

Director	Attendance
1. Shri Piyush Goyal, Chairman (ACB) w.e.f. 01.08.2007 up to 24.02.2008	5
2. Shri Rajiv Pandey, Chairman (ACB) upto 30.07.2007	3
3. Shri Arun Singh, Director upto 30.07.2007	3
4. Shri Suman Kumar Bery, Director, w.e.f. 01.09.2007	6
5. Dr. Ashok Jhunjunwala, Director, w.e.f. 14.01.2008	3
6. Shri Vinod Rai – GOI Nominee – upto 06.01.2008	-
7. Shri Arun Ramanathan - GOI Nominee- w.e.f. 18.01.2008	-
8. Smt. Shyamala Gopinath, RBI Nominee	3
9. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB), upto 31.01.2008	6
10. Shri Yogesh Agarwal, MD & GE (NB) – upto 30.06.2007	2
11. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO – w.e.f. 08.10.2007	5

Functions of ACB

(a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within

the Bank, and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspection by RBI.

- (b) ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialised and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also, especially, focuses on the follow-up of:
- Inter-branch adjustment accounts
 - Unreconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro/vostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping
- (c) It obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Department in the Bank.
- (d) ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/half-yearly/quarterly financial accounts and reports.

During the year, nine meetings of ACB (Table 15) were held to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of RBI guidelines.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board, incorporating the requirements under Clause-49 in addition to those under RBI guidelines, is in place.

Table : 15 Attendance at ACB Meetings

Date of the Meeting	No. of Directors Attended		
	Non- executive/ RBI/GOI Nominee	Whole-time Directors	Total
04.05.2007	2	1	3
11.05.2007	2	2	4
27.07.2007	3	1	4
06.10.2007	2	1	3
27.10.2007	3	2	5
20.11.2007	2	2	4
24.01.2008	3	2	5
01.02.2008	3	1	4
05.03.2008	3	1	4





बोर्ड की जोखिम-प्रबंधन-समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण-जोखिम, बाजार-जोखिम तथा परिचालन-जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम-प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करती है। समिति पिछली बार 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित की गई थी।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। समिति के तीन सदस्य हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2007-08 में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें हुईं :

निदेशक	उपस्थिति
1 श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक(का.बैं) अध्यक्ष 31.01.2008 तक	2
2 श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी दिनांक :01.02.2008 से	2
3 श्री सुमन कुमार बेरी	4
4 श्री अरुण सिंह, 30.07.2007 तक	1
5 डॉ. अशोक झुनझुनवाला 01.09.2007 से	2

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत-निवारण समिति

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/ घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/ निवेशक शिकायत-निवारण समिति (एसआइजीसीबी) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित की गई थी।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

निदेशक	उपस्थिति
1 श्री सुमन कुमार बेरी, अध्यक्ष	4
2 श्री राजीव पांडेय, 30.07.2007 तक	1
3. डॉ. देवा नंद बलोधी - 01.09.2007 से	3
4. श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग), - 31.01.2008 तक	2
5. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी 08.10.2007 से	2

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या
(वर्ष के दौरान) 3288

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें शेयरधारक को संतोषजनक
समाधान नहीं मिला शून्य

विचाराधीन शिकायतों की संख्या

(* ऐसी शिकायतें जो न्यायालय के विचाराधीन हैं) 19*

वर्ष के दौरान समिति ने चार तिमाही बैठकें आयोजित कीं और शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की।

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

श्री यू एन चल्लू, मुख्य महाप्रबंधक (लेखा एवं अनुपालन)

बड़ी राशि (एक करोड़ रुपए तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए निदेशकों की विशेष समिति :

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (1 करोड़ रुपए एवं अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति के प्रमुख कार्य 1 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे कि प्रणालीगत खामियों, यदि हों तो, धोखाधड़ी उजागर होने और रिपोर्टिंग में विलंब होने के कारणों का पता लगाया जा सके तथा सीबीआई/पुलिस जांच में प्रगति, वसूली-स्थिति का निर्धारण किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय होती है, धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा तथा उपयुक्त निरोधात्मक उपाय किए जा सकें। इस समिति को 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित किया गया।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

निदेशक	उपस्थिति
1 श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग), अध्यक्ष - 31.01.2008 तक	2
2 श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी 08.10.2007 से, अध्यक्ष 01.02.2008 से	1
3 श्री राजीव पांडे 30.07.2007 तक	1
4 श्री अरुण सिंह, 30.07.2007 तक	1
5 श्री सुमन कुमार बेरी	3
6 श्री पीयूष गोयल 24.02.2008 तक	-
7 डॉ. देवा नंद बलोधी 01.09.2007 से	2
8 प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी 01.09.2007 से	2
9 डॉ. अशोक झुनझुनवाला 29.03.2008 से	-





Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) was constituted on the 23rd March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee was last reconstituted on the 29th March 2008.

Composition and attendance during 2007-08

RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. The Committee has three members. The Managing Director and Chief Credit & Risk Officer is the Chairman of the Committee. During 2007-08, four meetings of the RMCB were held.

Director	Attendance
1. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB), Chairman upto 31.01.2008	2
2. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO – Chairman w.e.f. 01.02.2008	2
3. Shri Suman Kumar Bery	4
4. Shri Arun Singh-upto 30.07.2007	1
5. Dr. Ashok Jhunjunwala – w.e.f. 01.09.2007	2

Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (SIGCB) was formed on the 30th January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee was last reconstituted on the 29th March 2008.

Composition & Attendance during 2007-08

The committee has three members and is chaired by a non-executive director. The Committee meets four times in a year.

Director	Attendance
1. Shri Suman Kumar Bery, Chairman	4
2. Shri Rajiv Pandey – upto 30.07.2007	1
3. Dr. Deva Nand Balodhi – w.e.f. 01.09.2007	3
4. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB) – upto 31.01.2008	2
5. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO - w.e.f. 08.10.2007	2

Number of shareholders' complaints received so far (during the year): 3288

Number not solved to the satisfaction of shareholders: NIL

Number of Pending Complaints:
(* complaints which are sub-judice) 19*

The SIGCB held four quarterly meetings during the year and reviewed the position of the complaints.

Name and designation of Compliance officer:

Shri U.N. Challu, Chief General Manager (Accounts & Compliance)

Special Committee of Directors for Monitoring of Large Value Frauds (Rs.1 crore and above)

The Special Committee for monitoring of Large Value Frauds (Rs.1 crore and above) was constituted on 29th March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all frauds of Rs.1 crore and above with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee was reconstituted on the 29th March 2008.

Composition & Attendance during 2007-08

The committee has five members including a Managing Director. The Managing Director and Chief Credit & Risk Officer is the Chairman of the committee. The committee met three times during the year.

Director	Attendance
1. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB), Chairman- upto 31.01.2008	2
2. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO – w.e.f. 08.10.2007, Chairman w.e.f. 01.02.2008	1
3. Shri Rajiv Pandey, upto 30.07.2007	1
4. Shri Arun Singh, upto 30.07.2007	1
5. Shri Suman Kumar Bery	3
6. Shri Piyush Goyal, upto 24.02.2008	-
7. Dr. Deva Nand Balodhi, w.e.f. 01.09.2007	2
8. Prof. Md. Salahuddin Ansari, w.e.f. 01.09.2007	2
9. Dr. Ashok Jhunjunwala, w.e.f. 29.03.2008	-





बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया। यह समिति पिछली बार 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित की गई थी।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

निदेशक	उपस्थिति
1. श्री योगेश अग्रवाल प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा.बैं.) दिनांक : 30.06.2007 तक अध्यक्ष	1
2. श्री टी.एस. भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (का.बैं.), अध्यक्ष दिनांक : 14.11.2007 से 31.01.2008 तक	2
3. श्री एस. के. भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी, 14.11.2007 से, अध्यक्ष 01.02.2008 से	2
4. डॉ. अशोक झुनझुनवाला	4
5. श्री अरुण सिंह, 30.07.2007 तक	1
6. प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी 01.09.2007 से	3
7. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा 29.03.2008 से	—

बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति :

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी की पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति गठित की गई। यह समिति 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित की गई थी।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

निदेशक	उपस्थिति
1. डॉ. अशोक झुनझुनवाला, अध्यक्ष	7
2. श्री पीयूष गोयल 24.02.2008 तक	4
3. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा 29.03.2008 से	—
4. श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (का.बैं.) 14.11.2007 से 31.01.2008 तक	—
5. श्री एस. के. भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी 14.11.2007 से	4

ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय पर बोर्ड की समिति

बैंक की कृषि व्यवसाय पहल पर नए सिरे से विशेष ध्यान देने हेतु

ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय पर बोर्ड की समिति का 27 अक्टूबर को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 29 मार्च 2008 को पुनर्गठित की गई थी।

गठन और वर्ष 2007-08 के दौरान उपस्थिति

निदेशक	उपस्थिति
1. डॉ. देवा नंद बलोधी, अध्यक्ष 01.09.2007 से	4
2. प्रो. मो. सलाहुद्दीन अंसारी, 01.09.2007 से	3
3. डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा, 29.03.2008 से	—
4. श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (का.बैं.) 14.11.2007 से 31.01.2008 तक	—
5. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी, 14.11.2007 से	2

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2006-07 की वार्षिक महासभा 25 जून 2007 को आयोजित की गई जिसमें 10 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं - श्री ओ.पी.भट्ट, श्री टी.एस. भट्टाचार्य, श्री योगेश अग्रवाल, श्री अजय जी. पीरामल, श्री सुमन कुमार बेरी, डॉ. अशोक झुनझुनवाला, श्री अनंत चंद्र कलिता, श्री अमरपाल, श्री अरुण सिंह और श्री राजीव पांडे।

वार्षिक महासभाएं

बैंक के शेरधारकों की वर्ष 2006-07 की वार्षिक महासभा 25 जून 2007 को, वर्ष 2005-06 की 30 जून 2006 को, वर्ष 2004-05 की 30 जून 2005 को, वर्ष 2003-04 की 9 जुलाई 2004 को एवं वर्ष 2002-03 की 24 जुलाई 2003 को आयोजित की गई।

बोर्ड के नए पूर्णकालिक निदेशक का पूर्ववृत्त

श्री एस. के. भट्टाचार्य ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी के रूप में दिनांक 8 अक्टूबर 2007 को कार्यभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति के पूर्व वे स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक थे। वे एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि., मारीशस के प्रबंध निदेशक और बैंक के हैदराबाद मंडल के मुख्य महाप्रबंधक और चेन्नई मंडल के उप महाप्रबंधक (सतर्कता) रह चुके हैं।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक शुल्क अदा किया जाता है। निदेशकों को केंद्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक





Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board was constituted on the 26th August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee was last reconstituted on the 29th March 2008.

Composition & Attendance during 2007-08

The committee has three members including a Managing Director and is chaired by the senior Managing Director. During the year, four meetings of the committee were held.

Director	Attendance
1. Shri Yogesh Agarwal, MD & GE (NB), Chairman upto 30.06.2007	1
2. Shri T.S. Bhattacharya, M D & GE (CB), Chairman w.e.f. 14/11/2007 upto 31.01.2008	2
3. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO, w.e.f. 14.11.2007 Chairman w.e.f. 01.02.2008	2
4. Dr. Ashok Jhunjunwala	4
5. Shri Arun Singh, upto 30.07.2007	1
6. Prof. Md. Salahuddin Ansari, w.e.f. 01.09.2007	3
7. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha, w.e.f. 29.03.2008	—

Technology Committee of the Board

The Technology Committee of the Board was constituted on 26th August 2004, for tracking the progress of the Bank's IT initiatives, and was reconstituted on the 29th March 2008.

Composition & Attendance during 2007-08

The committee has three members including a Managing Director. The committee met seven times during the year.

Director	Attendance
1. Dr. Ashok Jhunjunwala, Chairman	7
2. Shri Piyush Goyal, upto 24.02.2008	4
3. Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha, w.e.f.29.03.2008	—
4. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB) w.e.f. 14.11.2007 upto 31.01.2008	—
5. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO w.e.f. 14.11.2007	4

Committee of the Board on Rural Sector Business

The Committee of the Board on Rural Sector Business was constituted on 27th October 2005, for renewed focus on the Bank's Agri-business initiatives. The Committee was last reconstituted on 29th March 2008.

Composition & Attendance during 2007-08

The committee has four members including a Managing Director. The committee is chaired by a non-executive Director. The committee met four times during the year.

Director	Attendance
1. Dr. Deva Nand Balodhi, Chairman, w.e.f. 01.09.2007	4
2. Prof. Md. Salahuddin Ansari, w.e.f. 01.09.2007	3
3. Dr. (Mrs.) Vasanthat Bharucha, w.e.f. 29.03.2008	—
4. Shri T.S. Bhattacharya, MD & GE (CB) w.e.f. 14.11.2007 upto 31.01.2008	—
5. Shri S.K. Bhattacharyya, MD & CCRO- w.e.f 14.11.2007	2

Attendance of the Annual General Meeting

The Annual General Meeting for the year 2006-07, which was held on the 25th June 2007, was attended by 10 directors, viz., Shri O.P. Bhatt, Shri T.S. Bhattacharya, Shri Yogesh Agarwal, Shri Ajay G. Piramal, Shri Suman K. Bery, Dr. Ashok Jhunjunwala, Shri Ananta Chandra Kalita, Shri Amar Pal, Shri Arun Singh and Shri Rajiv Pandey.

Annual General Meetings

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for 2006-07 was held on 25th June 2007, for 2005-06 on 30th June 2006, for 2004-05 on the 30th June 2005, for 2003-04 on the 9th July 2004 and for 2002-03 on 24th July 2003. All these meetings were held at Mumbai.

Bio-data of the New Whole-time Director on the Board

Shri S.K. Bhattacharyya joined the Board as Managing Director and Chief Credit & Risk Officer of the Bank on the 8th October 2007. Prior to this appointment, he was Managing Director, State Bank of Bikaner & Jaipur. He was also earlier posted as Managing Director of SBI International (Mauritius) Ltd., Mauritius, Chief General Manager of the Hyderabad Circle and Deputy General Manager (Vigilance) at Chennai Circle of the Bank.

Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the sitting fees paid to the non-executive Directors for attending the meetings of the Board/ Committees of





के लिए 5,000 रुपए तथा बोर्ड स्तरीय समिति की एक बैठक के लिए 2,500 रुपए बैठक-शुल्क प्रदान किया जाता है। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों को बैठक-शुल्क नहीं दिया जाता। वर्ष 2007-08 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

प्रकटीकरण :

बैंक, अपने प्रमोटर्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनके अनुषंगियों अथवा संबंधियों आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेन-देन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों, सेबी, भारिबैं अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश यथेष्ट हैं इसके तहत व्यवस्था है कि बैंक स्टाफ, बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकता है। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सचेत-कर्ता की भूमिका के लिए “मुखबिर” कर्मचारी को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

बैंक ने स्टाफ-एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है - बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं।

निदेशक मंडल का गठन, लेखा-परीक्षा समिती का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खंड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भास्तेबैं सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध वार्षिक वित्तीय निष्पादन की घोषणा तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खंड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। लेकिन उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक - VI में है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2007-08 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें अनेक निवेश-विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2007-08 में संदत्त वेतन व भत्ते

	मूल वेतन रु.	म. भ. रु.	अन्य रु.	प्रोत्साहन रु.	कुल पारिश्रमिक रु.
अध्यक्ष श्री ओ.पी. भट्ट (1.4.2007 से 31.3.2008 तक)	3,12,000.00	3,47,880.00	1,89,877.00	7,72,408.00	16,22,165.00
प्रबंध निदेशक					
श्री टी.एस. भट्टाचार्य (1.4.2007 से 31.1.2008 तक)	2,53,500.00	2,82,653.01	3,000.00	14,07,666.00	19,46,819.01
श्री योगेश अग्रवाल (1.4.2007 से 30.6.2007 तक)	1,08,373.86	1,20,260.89	1,140.00	3,31,780.00	5,61,554.75
श्री एस.के. भट्टाचार्य (8.10.2007 से 31.3.2008 तक)	4,10,396.94	2,39,226.67	55,137.07	5,50,000.00	12,54,760.68





the Board are as prescribed by GOI from time to time. The Directors are given a sitting fee of Rs.5,000 for attending every Central Board meeting and Rs.2,500 for attending a meeting of a Board-level committee. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GOI Nominee /RBI Nominee Directors. Details of sitting fees paid during the year 2007-08 are placed in Annexure-V.

Disclosure:

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

Vigilance guidelines of the Bank are in place, which provide that the Bank's staff may have direct access to the Bank's Chief Vigilance Officer. The guidelines also protect any staff acting as the 'informer' from any punitive action for being a whistle blower.

The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made there under, and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as

separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2007-08. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-VI. The Code is posted on the Bank's website.

Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2007-08 were published in all leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, inter alia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report, and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued.

Salary and Allowances paid to the Chairman & Managing Directors in 2007-2008

	Basic Rs.	DA Rs.	Others Rs.	Incentive Rs.	Total Remuneration Rs.
Chairman Shri. O. P. Bhatt (1.4.2007-31.3.2008)	3,12,000.00	3,47,880.00	1,89,877.00	7,72,408.00	16,22,165.00
Managing Directors					
Shri. T. S. Bhattacharya (1.4.2007-31.1.2008)	2,53,500.00	2,82,653.01	3,000.00	14,07,666.00	19,46,819.01
Shri. Yogesh Agarwal (1.4.2007-30.6.2007)	1,08,373.86	1,20,260.89	1,140.00	3,31,780.00	5,61,554.75
Shri. S. K. Bhattacharyya (8.10.2007-31.3.2008)	4,10,396.94	2,39,226.67	55,137.07	5,50,000.00	12,54,760.68



**शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :**

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा : दिनांक 11.06.2008, समय अपराह्न 3.30 बजे, स्थान : “वाई.बी.चह्वान सेंटर”, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021

वित्तीय कैलेंडर	: 1-4-2007 से 31-3-2008
बहीबंदी की तिथि	: 2-6-2008 से 11-06-2008
लाभांश-भुगतान तिथि	: 09-07-2008
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	: मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नै और राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई (विश्व जमा रसीदें लंदन शेयर बाजार (एलएसई) में सूचीकृत हैं) लंदन शेयर बाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टाक कोड	: 112
निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सहभागिता	: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. डीमेट रूप में बैंक के शेयरों के निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) धारक हैं।
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	: भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के लाभांशों का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन केंद्रों के माध्यम से भी किया जा रहा है।
पंजीयक और अंतरण एजेंट तथा उनका पता	: मै. डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस लिमिटेड, यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट ए-16 और 17, एमआइडीसी, पार्ट बी, क्रॉस लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.
बोर्ड फोन नं.	: 022-6671 2151 से 2156 तक
सीधे नं.	: 022-6671 2198 / 6671 2199 022-6671 2201 से 2203 तक
ई-मेल पता	: sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	: (022) 6671 2204

शेयर-अंतरण प्रणाली	: रजिस्ट्रीकरण और अंतरण (आर एंड टी) एजेंट के माध्यम से
बकाया जीडीआर	: 31.03.2008 को 2,12,40,886 (जीडीआर) 4,24,81,772 शेयर
पत्र व्यवहार के लिए पता	: भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, केंद्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, 8वीं मंजिल, एमसी रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021
फोन	: (022) 2202 2678 (022) 2288 3888 (022) 2283 0535
फैक्स	: (022) 2285 5348
ई मेल पता	: gm.snb@sbi.co.in

शेयर-कीमत उतार-चढ़ाव :

शेयर-कीमत उतार- चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स तालिका 18 में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का बाजार पूंजीकरण जो मार्च 2008 में बीएसई में 4.24% और एनएसई में 3.55% के भारांक पर था। बैंक का शेयर सबसे ज्यादा क्रय-विक्रय किए जाने वाले शेयरों में से एक रहा।

तालिका - 16 बाजार मूल्य आंकड़े (अंतिम मूल्य)

मास	बीएसई में भारतीय स्टेट बैंक के शेयर का मूल्य (₹)		बीएसई सूचकांक	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2007	1,165.00	915.10	14,383.72	12,425.52
मई 2007	1,362.00	1,068.80	14,576.37	13,554.34
जून 2007	1,531.00	1,278.25	14,683.36	13,946.99
जुलाई 2007	1,760.00	1,470.05	15,868.85	14,638.88
अगस्त 2007	1,745.00	1,408.00	15,542.40	13,779.88
सितंबर 2007	1,969.80	1,575.10	17,361.47	15,323.05
अक्टूबर 2007	2,179.70	1,601.00	20,238.16	17,144.58
नवंबर 2007	2,400.00	2,025.00	20,204.21	18,182.83
दिसंबर 2007	2,475.25	2,225.35	20,498.11	18,886.40
जनवरी 2008	2,540.00	1,905.60	21,206.77	15,332.42
फरवरी 2008	2,310.00	1,953.00	18,895.34	16,457.74
मार्च 2008	2,089.50	1,582.25	17,227.56	14,677.24



**General Shareholder Information:**

The Annual General Meeting of the Shareholders:
Date: 11-06-2008, Time 3.30 p.m. Venue: "Y.B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar : 1.4.2007 to 31-03-2008

Date of Book Closure : 02.06.2008 to 11.06.2008

Dividend Payment Date : 09-07-2008

Listing on Stock Exchanges : Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. (GDRs listed on London Stock Exchange–LSE) Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.

Stock Code : 112

Depository Participation : The National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CSDL) are the depositories holding the Bank's shares in demat form

Electronic Clearing : Dividend on SBI shares is also being paid through 15 RBI's Electronic Clearing Centres.

Registrar and Transfer Agent and their address : M/s Datamatics Financial Services Limited, Unit: State Bank of India, Plot A-16 & 17, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.

Board Phone Numbers : 022-6671 2151 to 2156

Direct Numbers : 022-6671 2198/
6671 2199
022-6671 2201
to 2203

E-mail address	: sbi_eq@dfssl.com
Fax	: (022) 6671 2204
Share Transfer system	: Through R&T Agent
Outstanding GDR	: 2,12,40,886 (GDR) as on 31-03-2008 representing 4,24,81,772 shares
Address for Correspondence	: State Bank of India, Shares & Bonds Department, Central Office, State Bank Bhavan, 8 th floor, M.C. Road, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Telephones	: (022) 2202 2678 (022) 2288 3888 (022) 2283 0535
Fax	: (022) 2285 5348
E-mail address	: gm.snb@sbi.co.in

Share Price Movement:

The movement of the share price and the BSE Sensex is presented in Table No. 18. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 4.24% at BSE and 3.55% at NSE as at the end of March, 2008. The Bank's scrip has been one of the heavily traded scrips.

**Table : 16 Market Price Data
(Closing Values)**

Months	SBI's Share Price at BSE (Rs.)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-07	1,165.00	915.10	14,383.72	12,425.52
May-07	1,362.00	1,068.80	14,576.37	13,554.34
Jun-07	1,531.00	1,278.25	14,683.36	13,946.99
Jul-07	1,760.00	1,470.05	15,868.85	14,638.88
Aug-07	1,745.00	1,408.00	15,542.40	13,779.88
Sep-07	1,969.80	1,575.10	17,361.47	15,323.05
Oct-07	2,179.70	1,601.00	20,238.16	17,144.58
Nov-07	2,400.00	2,025.00	20,204.21	18,182.83
Dec-07	2,475.25	2,225.35	20,498.11	18,886.40
Jan-08	2,540.00	1,905.60	21,206.77	15,332.42
Feb-08	2,310.00	1,953.00	18,895.34	16,457.74
Mar-08	2,089.50	1,582.25	17,227.56	14,677.24





निवेशकों की आवश्यकताएँ :

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण सुव्यवस्थित विभाग (शेयर एवं बांड विभाग) और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बांड कक्ष है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को मिली हों या रजिस्ट्रीकरण और अंतरण-एजेंटों को, तुरंत ध्यान देकर उनका निवारण किया जाता है। इस कार्य की निगरानी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर की जाती है। बैंक ने देशभर में 88 अन्य केंद्रों का चयन कर प्रत्येक केंद्र पर शेयरधारकों/निवेशकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक अधिकारी को नामित किया है।

**तालिका : 17 शेयरधारिता का वितरण
(31-03-2008 की स्थिति के अनुसार)**

शेयरधारक	धारित शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	59.73%
अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय / विश्व जमा रसीदें)	19.59%
बीमा कंपनियों/बैंकों सहित वित्तीय संस्थाएँ	7.17%
म्यूचुअल फंड्स/सरकारी कंपनियाँ / भारतीय यूनिट ट्रस्ट	4.45%
देशी कंपनियाँ/न्यास	3.22%
निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.84%
शेयरधारकों की संख्या	638704
डीमेंट शेयरों की संख्या (617794305)	97.83%

**तालिका : 18 बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक
(31-03-2008 की स्थिति के अनुसार)**

धारक का नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत
1. भारत के राष्ट्रपति	59.73
2. दि बैंक ऑफ न्यूयार्क (जीडीआर)	6.68
3. भारतीय जीवन बीमा निगम	4.21
4. सीएलएसए मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड खाता सीएलसीए मारीशस	2.65
5. यूरोपसिफिक ग्रोथ फंड	1.31
6. ओरिएंट ग्लोबल टैमरिंड (मारीशस)	0.97
7. सिटि ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मारीशस (प्रा.) लिमिटेड	0.91
8. फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी खाता एफ आइ डी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-फिडेलिटी डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड	0.76
9. आइसीआईसीआई प्रूडेंशिएल लाइफ इंशोरेंस कंपनी	0.73
10. भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस	0.73





Investors' Needs:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department at its Corporate Centre (Shares & Bonds Department) at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received at the Bank's offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level. The Bank has also identified 88 other centers across the country and designated one official at each centre to attend to the Shareholders'/ Investors' needs.

**Table : 17 Distribution of Shareholdings
(As on 31-03-2008)**

Shareholders	% of shares held
President of India	59.73%
Non-residents (FIIs/ OCBs / NRIs /GDRs)	19.59%
Financial Institutions including Insurance Companies/ Banks	7.17%
Mutual Funds/ Government Companies/ UTI	4.45%
Domestic companies/Trusts	3.22%
Others including Resident individuals	5.84%
No. of Shareholders	638704
No. of Shares in dematerialisation (617794305)	97.83%

**Table : 18 Top Ten Shareholders of the Bank
(As on 31-03-2008)**

Name of the Holder	Equity held (%)
1 President of India	59.73
2 The Bank of New York (GDRs)	6.68
3 Life Insurance Corp. of India	4.21
4 CLSA Merchant Bankers Ltd A/c CLCA Mauritius	2.65
5 Europacific Growth Fund	1.31
6 Orient Global Tamarind (Mauritius)	0.97
7. CITI Group Global Markets Mauritius (P) Ltd.	0.91
8. Fidelity Management & Research Co. A/c FID Investment Trust- Fidelity diversified Intl. Fund	0.76
9. ICICI Prudential Life Insurance Co.	0.73
10. LIC of India Money Plus	0.73

